ans/akt/1a/1100/08.07.09

अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र का दूसरा दिवस संख्या 2

बुधवार,
8 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रकिया के नियम 214 में, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में आने से पहले आप भी सब माननीय सदस्यों के पास भेजते हैं कि इसको गोपनीय रखा जाए, जबकि यह सबके लिए है। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने, अखबारों में भी यह साफ प्रिंट है और ईटीवी में भी कल मुख्य सचेतक महोदय ने कि 15 तारीख तक, 5 दिन इस पर चर्चा होगी, जो कार्यवाही बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय हुई वह यहां सदन में अप्रूव होने से पहले उसको गोपनीय रखना तमाम माननीय सदस्यों का कर्तव्य है वहीं मुख्य सचेतक महोदय का भी यह कर्तव्य है कि जब तक वह सदन में अप्रूव नहीं हो जाए वहां तक उसको गोपनीय रखना उनकी भी जिम्मेदारी है लेकिन गोपनीयता को भंग करने का काम सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने किया है। मैं समझता हूं कि यह परम्पराओं का और नियमों का उल्लघंन मुख्य सचेतक महोदय ने किया है। इस पर आप व्यवस्था दें, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय दातांरामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है,अखबारों की कटिंग,ईटीवी पर जो आया है वह,वह सब मैं देखकर आपको व्यवस्था दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह जब यहां प्रतिवेदन रख रहे हैं वह सदन में पारित होता है तब तक गोपनीय होता है अब चूंकि आप बोल चुके इसलिए वह गोपनीय नहीं है और जब गोपनीय नहीं है तो आपकी व्यवस्था के पहले उनका यहां रखना यह किस प्रकार

न्यायोचित है,इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारी हमेशा परम्परा रही है। जैसे समाचार पत्रों में छपता है वह अलग बात है लेकिन माननीय सचेतक के मुंह से यह बात निकले कि हमने यह कार्य तय किया है यह तय किया हैऔर वह फिर सदन के पटल पर आये यह तो सदन के विशेषाधिकार का भी हनन है और हमारी जो परम्परा और मान्यता है उनका भी हनन है इसलिए आप इस व्यवस्था को रिजर्व नहीं रख सकते। इस व्यवस्था को आप करने के बाद ही उनको कह सकते हैं वह आपना प्रतिवेदन रखे। माननीय अमराराम जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय ने जो बात रखी, मैंने आपसे निवेदन किया, आपने एक बात मेरे सामने लाकर रखी है, मुझे इसको देखने का समय तो दें, मैं निश्चित रूप से इस पर व्यवस्था दूंगा। मुझे कुछ समय इसलिए चाहिये कि ईटीवी को भी मैं दूख लूं, अखबार में छपा है वह भी मैं देख लूं उसके बाद निश्चित रूप से इस पर व्यवस्था दी जाएगी। अभी कार्यवाही को आप बाधित नहीं करें मेरी आपसे यह प्रार्थना है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ईटीवी मैंने देखा है और आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। मैं आपको पढ़कर सुना दूं, राजस्थान पत्रिका जो प्रमुख समाचार पत्र है उसमें लिखा है....

श्री अध्यक्ष: मैं यह नहीं कह रहा आपने नहीं देखा, मैं इस बात को ना नहीं कर रहा, आपने देखा होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई जिसमें बजट पर पाँच दिन चर्चा कराने का फैसला किया गया है, अधिकांश सदस्यों को चर्चा में हिस्सा लेने का मौका देने के लिए सभी दलों के नेताओं को 9,10,13,14 व 15 जुलाई को बजट पर चर्चा कराने पर सहमति हो गई है। ईटीवी में साफ उन्होंने अपना बयान दिया है। यह अखबारों में छपा है,दिया है जब छपा है। ईटीवी में तो उन्होंने खुद ने, मैंने देखा है उन्होंने खुद ने, यहां प्रजेंट है उन्होंने बयान दिया है कि 15 तारीख तक का बिजनिस इस पर होगा, आज तक चार दिन होता था अबकि बार पाँच दिन का तय हुआ है, 15 तारीख को रिप्लाई होगी। मैं समझता हूं कि बहुत ही इन परम्पराओं की अवहेलना, अगर सचेतक महोदय को मीडिया में जाना है तो दूसरे बहुत से माध्यम है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): व्यवस्था तो देंगे आप कोई (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन कम से कम इस सदन की परम्पराओं को तो कायम रखे। जब तक आप इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होंगे मैं समझता हूं परम्पराएं कायम नहीं रहेगी। अगर मुख्य सचेतक महोदय ही ऐसे परम्पराओं को तोड़ने का काम करेंगे तो जो माननीय सदस्य हैं फिर उनका तो क्या हाल होगा आप खुद अनुमान लगा लीजिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने जैसा आपसे निवेदन किया है, मैंने जैसा निवेदन किया है.....

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सदस्य एक.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया बिराजे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराजे,कृपया आप बिराजे। मैंने जैसा निवेदन किया ईटीवी को इन्टरव्यू कहां दिया है मुझे यह भी देखना है क्योंकि चैम्बर में यहां तो कहीं इन्टरव्यू नहीं होने लग गये है यह भी मुझे देखना पड़ेगा और सारी स्थिति देखकर मैं आपको निश्चित रूप से व्यवस्था दूंगा। अभी कृपया क्योंकि बजट भी आना है इसके अंदर व्यवधान नहीं डाले मेरी आपसे यह प्रार्थना है। माननीय...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय फिर इसकी सैंक्टिटी क्या रहेगी । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक):कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांकजुलाई,2009 को मध्याह्न पूर्व 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 08 जुलाई,2009 से 15 जुलाई,2009 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 08 जुलाई,2009	परिवर्तित आय व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन ।
गुरूवार, दिनांक 09जुलाई,2009 शुक्रवार,दिनांक10 जुलाई,2009	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 पर सामान्य वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 11 जुलाई,2009 रविवार, दिनांक 12 जुलाई,2009	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 13 जुलाई,2009 मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई,2009	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद
बुधवार, दिनांक 15 जुलाई,2009	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष2009-10 पर अग्रेतर सामान्य वाद विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्षःश्रीमान अशोक गहलोत।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप डिस्टर्ब नहीं करें। मेहरबानी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को (व्यवधान) सदन के नेता जब बोलने खड़े होते हैं (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। सदन के नेता जब बोलने के लिए खड़े होते हैं परम्परओं का ध्यान रखिये। माननीय सदस्य पहली बार आप पधारे हैं मैं आपसे प्रार्थना करूंगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

परिवर्तित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2009-10 के परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):000

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता जब बोलने के लिए खड़े होते हैं माननीय सदस्य परम्पराओं का ध्यान रखिये। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, कृपया बिराज जाइये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: और कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं अंकित नहीं हो रहा है, कृपया बिराज जाए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):000

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराज जाए, माननीय सदस्य सदन में व्यवधान नहीं डाले कृपया बिराज जाए। माननीय सदस्य आप बहुत सीनियर सदस्य है, आपको परम्पराओं की जानकारी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):000

श्री अध्यक्ष: जब सदन के नेता खड़े होते हैं तो कृपया आपको व्यवधान नहीं ड़ालना चाहिये, मेहरबानी करके बिराज जाए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):000

श्री अध्यक्ष: और कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

000अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात फरवरी माह में चार माह के लिए वोट एंड अकाउण्ट लिया गया था। हम यह चाहते थे कि प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं एवम सरकार से उनकी अपेक्षाओं का पुन: आंकलन करते हुऐ ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाए जो सभी कसोटियों पर खरा उतर सके।

दुर्गा/त्रिपाठी 080709 1120 1b

35. चालू वर्ष में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोला जायेगा। .....

82. आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि जो लगभग 23 करोड़ रुपये है, अवैध शराब के धन्धों में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु खर्च की जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पानी पी लीजिये, साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह बजट आप सबको पानी पिला देगा।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ये पहले पानी पिला चुके हैं, अब फिर पिलाएंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 83. हमारे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 'वरिष्ठ नागरिक बोर्ड' का गठन किया जायेगा। ..... सुझाव अच्छा है आपका, बुरा नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पानी पी-पीकर जोधपुर को दो आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 84. अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के लिए एक हैल्प लाइन की स्थापना की जायेगी। .....

94. महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने क लिए हमने जेंडर रेस्पोन्सिव बजट बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण सम्भव हो सकेगा। इस हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जायेगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संरक्षण, विकास एवं सशक्तीकरण की दृष्टि से महिला अधिकारिता विभाग में एक विशेष 'जेंडर सैल' की स्थापना की जा रही है। ....

Vps-akt-11.40-1c-08-07-2009

95. महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें:-

(i) सुरक्षित मातृत्व,

(ii| शिशु मृत्यु दर में कमी लाना,

---

000 000अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

1. जनसंख्या स्थिरीकरण,
2. बाल विवाहों की रोक-थाम,
3. लड़कियों का कम से कम कक्षा दस तक ठहराव,
4. महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, एवं
5. स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): महिलाओं के सशक्तीकरण की क्या बात कर रहे हैं? 33 परसेंट आरक्षण कर ...(व्यवधान)... महिलाओं के सशक्तीकरण की क्या बात कर रहे हैं?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 96. स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमृता सोसायटी के माध्यम से आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। चालू वर्ष में .....

110. जोधपुर में माचिया क्षेत्र को 'सेण्ट्रल जू-ऑथोरिटी' के मापदंडों के अनुसार 'बॉयोलॉजिकल पार्क' के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना तैयार की जाएगी। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह भी जोधपुर में है। झालावाड़ में नहीं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 111. पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण संबंधी ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पूरा राजस्थान समान होना चाहिए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): भूल गये, पहले भूल गये थे क्या? पर्यावरण:

111. पर्यावरण संबंधी प्रकरणों के पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान पर्यावरण मिशन' की स्थापना की जाएगी। यह मिशन ...

120. हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्युत दरों में कृषकों के लिए आगामी पाँच वर्षों तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

121. आपको याद होगा कि भारत सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह भी कह दो कि विद्युत देंगे ही नहीं किसानों को, विद्युत कटौती करके। विद्युत देंगे ही नहीं किसानों को ...(व्यवधान)...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 121. आपको याद होगा कि भारत सरकार ने पूरे देश में काश्तकारों के लिए ऋण माफी की घोषणा की थी। इस घोषणा के अन्तर्गत आपको याद होगा कि भारत सरकार ने पूरे देश में काश्तकारों के लिए ऋण माफी की घोषणा की थी। इस घोषणा के अन्तर्गत राज्य के 17 लाख से अधिक गरीब किसानों को लाभ मिला है।.......

130. प्रदेश के पशुधन के विकास को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा हाल ही में 'भेड़ एवं बकरी पशु प्रजनन नीति' जारी की गई है। पशुधन के सम्पूर्ण विकास हेतु ... ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जो डार्क-जोन घोषित हो गया, उसके लिए भी कुछ करते। डार्क-जोन में फसलें कैसे पैदा होंगी? डार्क-जोन घोषित हो गया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): राज्य में पहली बार पशुधन विकास नीति बनायी जाएगी। इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पशुधन मिशन को सक्रिय किया जाएगा।

131. पशुधन विकास के लिए चालू वर्ष में टिश्यू कल्चर वैक्सीन के परिवहन, भण्डारण एवं वितरण हेतु 2 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से कोल्ड चेन स्थापित की जायेगी। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): सुनने की क्षमता रखो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उसकी क्या व्यवस्था होगी?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): सुनने की क्षमता रखो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 132. 'पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार' योजना प्रारम्भ की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत .....

144. राज्य की 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अत: मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

Spp/Akt/08.07.2009/12.00/1d

144. राज्य की 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है, अत: मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके साथ ही ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पिछले बजट उठाकर देख लें, हर बजट में एक सैकण्डरी स्कूल खोला है। आप बजट उठाकर देख लेना।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया था पहले? आपने क्या किया था?

145.श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसके साथ ही चालू वर्ष में 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।

199. श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्यों में भू-उपयोग के नियमन हेतु राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का 90 बी का प्रावधान एक संवेदनशील एवं विवादास्पद विषय रहा है। यह तो आप मानेंगे। वापस पढ़ दूं। कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्यों में भू-उपयोग के नियमन हेतु राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का 90 बी का प्रावधान एक संवेदनशील एवं विवादास्पद विषय रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके समय की समझौता समिति और एड कर दो इसमें। वह और एड कर दो इसमें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तथा इसके सम्बन्ध में (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एकाध प्रकरण तो बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बता देंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एकाध बता दो। (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रिकार्ड में बतायेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 90 बी के तो बहीखाते खुलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खोल दो न बहीखाते। कौन डरता है बहीखातों से(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौन डरता है आपके बहीखातों से। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: बहुत लूटा है, कैलाश जी मेघवाल बतायेंगे आपको।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दोनों ने मिलकर लूटा है बारी-बारी से। दोनों ने बारी-बारी से लूटने का काम किया है बारी-बारी से। (व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मुख्य मंत्रीजी आप धौलपुर के भी मुख्य मंत्री हैं। हमारे लिये भी सोचिये। हम भी भूखे हैं यहां पर। (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजसमन्द भी राजस्थान का एक जिला है। उसका नाम नहीं लिया आपने। (व्यवधान)...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 90 बी का प्रावधान एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है, अत: इस संबंध में कई तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। इस संबंध में हमने फरवरी, 2009 में नई गाइड लाइन्स जारी की हैं.....

205. राजस्थान की प्राचीन बावड़ियां, पुराने गढ़ों, किलों और खण्डहरों...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खण्डहर नहीं हैं इसमें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमारी इतिहास गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम राजस्थान की बावड़ियों और पुराने किलों को 'यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट' के रूप में चिह्नित करने के लिये प्रस्तावित कर रहे हैं।

Pcs/usc 08.07.2009 12.20 1e

206. पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

216.चालू वर्ष में जयपुर एवं जोधपुर में एक एक अतिरिक्त इमरजेंसी रेस्पोंस टीम का गठन किया जाएगा जिसके लिए 85 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की राजधानी जोधपुर को ही बना लो। कम से कम बीस बार जोधपुर का नाम आया है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ऐसी कौनसी बीमारी हो गयी है आपको जो आप जोधपुर का बार-बार नाम ले रहे हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री):...इसी प्रकार 4 संभागीय मुख्यालयों एवं दिल्ली में स्पेशल आपरेशंस ग्रुप (SOG) की शाखाएं खोली जायेंगी, जिस हेतु 1 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

227. अधीनस्थ न्यायालय भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु 16 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय भवनों में कम्प्यूटर कक्षों का निर्माण भी करवाया जायेगा। (व्यवधान) जोधपुर राजस्थान से बाहर है?

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि गंगानगर राजस्थान में है या फिर पंजाब में है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 228. जोधपुर में एक ज्यूडिशियल एकेडमी की स्थापना प्रस्तावित है......

235........अत: मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय हेतु अलग भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

एक माननीय सदस्य: पानी पी लो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब तो जरूरी है।...

कर प्रस्ताव

236.माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को मैंने विश्वव्यापी मन्दी तथा उसके प्रभाव के बारे में बताया है।.......

Msr/usc/1240/1f/08072009

280. इस प्रकार वर्ष 2007-08 में ...(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बड़े अल्प वेतनभोगी हैं ...(व्यवधान)...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 280. इस प्रकार वर्ष 2007-08 में वेतन मद में कुल भुगतान 7700 करोड़ की तुलना में इस वर्ष से, 14000 करोड़ रुपये का वार्षिक दायित्व, आने लग गया है, (जायेगा) जो लगभग दो गुना है (हो जायेगा)। यह अपने आप में राज्य का वित्तीय संतुलन बनाये रखने के लिए गम्भीर चुनौती है।

'यह अपने आप में राज्य के सामने वित्तीय संतुलन बनाये रखने के लिए गम्भीर चुनौती है।' ....

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 287. हम जानते हैं कि तम्बाकू तथा उससे आधारित ...(व्यवधान)...

'हम जानते हैं कि तम्बाकू तथा उससे आधारित ...(व्यवधान)... बहुत इम्पोर्टेण्ट बात है, भई, हम जानते हैं तम्बाकू, तम्बाकू, तम्बाकू ...(व्यवधान)... तिवाड़ी साहब, सुन रहे हो? आपको कह रहा हूं। सुन रहे हो, आप?'

हम जानते हैं तम्बाकू जो आदमी खाते हैं तथा उससे आधारित विभिन्न प्रकार की उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक पदार्थ हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 290. अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त कठिन हालात के बावजूद, इन कर प्रस्तावों में आम आदमी, गरीब एवं किसान के जरूरत की वस्तुओं पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है तथा मुझे विश्वास है कि अगले पाँच वर्ष में ऐसी नौबत नहीं आयेगी।

'अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट करना चाहूंगा। अत्यन्त कठिन हालात के बावजूद इन कर प्रस्तावों में आम आदमी, गरीब एवं किसान के जरूरत की वस्तुओं पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है तथा मुझे विश्वास है कि अगले पाँच वर्ष में ऐसी नौबत नहीं आयेगी।'

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 295. सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में हैं...

'सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में हैं जनता के'

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 298. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आम आदमी, गरीब और गांव को समर्पित इन बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

ars/usc/1300/1g/08072009

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग के साथ, जिसने सबसे ज्यादा सीट दीं कांग्रेस को लेकिन दुर्भाग्य है कि उदयपुर संभाग का, जिस प्रकार से आपने उसके साथ एक तरह से धोखा किया, देवास योजना जो सुखाड़ियाजी ने जब प्रारम्भ की, हमने वापस शुरू की, उसका जो द्वितीय चरण चल रहा है उसमें किसी प्रकार का प्रावधान न रख कर ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल यह कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बजट पर जब वाद-विवाद होगा तो आप समय ले कर के उसमें अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करने की कृपा करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, भावनाएं तो बाद में ही तो व्यक्त करें ...(व्यवधान)... मैं इसके लिए, उदयपुर संभाग का घोर अपमान करने के कारण और देवास योजना पर पूरा पैसा नहीं देने के कारण मैं सदन से बहिष्कार करता हूं। ...(व्यवधान)...

(मा.सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया द्वारा सदन से बहिगर्मन)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, यह पहले उनके टाइम पर कर देते न ...(व्यवधान)... अपने टाइम पर कुछ ही नहीं किया और अभी कह रहे हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन करेंगे और उसे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन करता हूं। सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)...

विधायी कार्य:विधेयक का पुर:स्थापन
राजस्थान वित्त विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न यह है कि ...

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैंने कल कहा था, आपके ज्ञान पर मुझे संशय नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरस्थापित भी करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पुरस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 09 जुलाई, 2009 के प्रात: 1100 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 1300 बजे गुरुवार, दिनांक 09 जुलाई, 2009 के 1100 बजे तक के लिए स्थगित की हुई।)